

फार्म-उनचास
वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश
(उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर नियम, 2008 के नियम-50क को देखे)

सेवा में,
डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर,
गाजियाबाद/लखनऊ

महोदय,

मैं----- पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती..... निवासी-----

प्रास्थिति ----- (विदेशी डिप्लोमेटिक मिशन, कन्सुलेट, संयुक्त राष्ट्र अथवा अन्य कोई समतुल्य अन्तर्राष्ट्रीय संस्थान अथवा कन्सुलर अथवा किसी मिशन का डिप्लोमेटिक एजेण्ट, संयुक्त राष्ट्र अथवा अन्य कोई संस्थान जैसा कि उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-4 की उपधारा-6 में प्रदत्त है, के नाम अंकित है) देय वैट वाली वस्तुओं की खरीद रु0/-एवं रु0/ ----- मूल्य संबंधित कर का भुगतान संलग्न सूची में अंकित व्यापारियों को किया है एवं रु0/-..... धनराशि वापसी का हकदार हूँ। -----.

अतः उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित नियमावाली, 2008 के नियम-50क के प्राविधानों के अनुसार रु0/- ----- की धनराशि वापस करने की कृपा करें ।

बैंक का विवरण जिसमें वापसी की धनराशि जमा होगी

बैंक का नाम	शाखा का नाम	खाता संख्या	खाता का प्रकार
1	2	3	4

आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर,
विदेशी डिप्लोमेटिक मिशन अथवा कन्सुलेट
का नाम एवं पता

कर सूची

क्र० सं०	विक्रेता का नाम	टिन नम्बर	कर बीजक की क्रम संख्या	बीजक का दिनांक	वस्तु का मूल्य	कर की धनराशि
1	2	3	4	5	6	7

आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर,